उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 (पी0ए0) वाद सं0 02/2021–22

संतोष शर्मा.....अपीलकर्त्ता।

बनाम

सुरेन्द्र शर्मा.....उत्तरकारी।

आदेश

17.12.2021

यह रे0मि0 (पी0ए0) वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–16/18–19 में पारित आदेश दिनांक–17.01.2020 के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा बन्दरा अंचल सरैयाहाट प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के अंतिम दर्ज प्रधान सोना मड़ैया थे। उनके मृत्यु के पश्चात् मौजा कुछ दिनों तक खास रहा है। तत्पश्चात् उपेन्द्र शर्मा, संतोष शर्मा एवं उधो शर्मा द्वारा मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु सं0पं0 कास्तकारी अधिरियम के धारा–06 के अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया जिसे पी0ए0 वाद सं0–569/07–08 दर्ज किया गया जिसमें उत्तरकारी के पिता उघो शर्मा की प्रधान पद पर संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम धारा–06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया। उत्तरकारी के पिता उधो शर्मा की मृत्यु होने के पश्चात् उत्तरकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति संथाल परगना कास्ताकारी अधिनियम के धारा–06 के अन्तर्गत दायर किया गया जिसे पी0ए0 वाद सं0–16/18–19 दर्ज किया गया। इस वाद में उत्तरकारी को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–06 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। इसी आदेश के विरूद्ध में यह अपील दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वह गैंजर खतियान में दर्ज प्रधान सोना मड़ैया के जेष्ठ पुत्र के वंश के अन्तर्गत आते है। इस लिए उनका दावा उत्तराधिकारी के हेसियत प्रधान पद बनता है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित

आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उत्तरकारी अंतिम नियुक्त प्रधान उधो शर्मा के जेष्ठ पुत्र है। अंतिम नियुक्त प्रधान उधो शर्मा की मृत्यु दिनांक–25.10.18 को हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उत्तरकारी का प्रधान पद पर संथाल परगना कास्ताकारी अधिनियम के धारा–06 के अन्तर्गत बनता है। अपीलकर्त्ता गेंजर सर्वे के खतियानी दर्ज अंतिम प्रधान के आधार पर प्रधानी पद पर दावा करते है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का दावा निराधार है। अतः अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि मौजा के अंतिम प्रधान उधो शर्मा थे। जिनकी मृत्यु 25.10.18 को हो चुकी है। उत्तरकारी अंतिम कार्यरत प्रधान उधो शर्मा के पुत्र है। ऐसी स्थिति में उनका दावा प्रधान पद पर संथाल परगना कास्ताकारी अधिनियम के धारा–06 के अन्तर्गत बनता है। अपीलकर्त्ता का दावा अंतिम दर्ज प्रधान के आधार पर है। जिनकी मृत्यु काफी पूर्व में (लगभग 80 वर्ष पूर्व) हो चुकी है। इस आधार पर उनका दावा निराधार प्रतीत होता है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:10:18 +05:30
Location: 169.254.227.244